

क्रि०मि०केश नं०- 186 / 2019

05/01/2021

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत स्पष्ट होता है कि वर्तमान वाद की वैधानिक अवधि बीत चुकी है। उभय पक्ष की ओर से या संबंधित थाना प्रभारी से शांति भंग होने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्तमान वाद समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

05/01/2021  
अनुमण्डल वण्डाधिकारी,  
गोड्डा।

05/01/2021  
अनुमण्डल वण्डाधिकारी,  
गोड्डा।